


20-12-23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण या वादीगण स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादीगण का यह वादपत्र अदम्य पैरवी-अदम्य हाजिरी में इसी स्तर पर वादित किया जाता है। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखाया जाकर तुलै न्यायालय में सुबापा

गण।


(अमिता बिश्नोई)
RAS